प्रेषक,

रवि यादव
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 05, मेरठ।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जिला न्यायाधीश महोदय
मेरठ।

विषयः– शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension) / Admin- IV (I) दिनांकित 16–07–2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विषयांकित शासनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो. जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005/301(9)–2003 दिनांकित 28–03–2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था व विकल्प प्रदान किया गया है। उपरोक्त विषयक संदर्भ में अति सम्मानपूर्वक निवेदन निम्नवत् हैः–

1. यह कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2003, दिनांकित 15–11–2003 जो दिनांक 22–28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ. द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये।

2. यह कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या–2430/दो–4–06–32(1)–2001 टीसी–1 लखनऊः दिनांक 26–05–2006 के माध्यम से हुई है।

3. यह कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या–1209/डीआर (एस) 2006 दिनांकित 13–06–2006 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांक 14–06–2006 को जनपद न्यायालय प्रयागराज में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

4. यह कि उत्तर प्रदेश शासन के विषयांकित शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने योग्य एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का पात्र है।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर

P

पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प एवं घोषणा पत्र विभागाध्यक्ष की सहमति/संस्तुति के साथ पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र मय विकल्प एव घोषणा पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचारणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करे।

विशेष आभार के साथ।

Ravi Yadav 25/7/24

दिनांक–25.07.2024

(रवि यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 05, मेरठ।
I.D. No -UP 6430

संलग्नकः– शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प व घोषणा पत्र ।

<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।</u>

पत्रांक 2405/I

दिनांक 25/07/2024

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

जिला न्यायाधीश,
मेरठ।
25.07.2024

शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक–

विकल्प पत्र

1.	नाम	–	रवि यादव (I.D. No -UP 6430)
2.	वर्तमान पदनाम	–	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
3.	वेतनमान	–	144840–194660 लेवल जे–5
4.	वर्तमान विभाग का नाम	–	न्याय विभाग (जनपद न्यायालय मेरठ)
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	–	कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्त अनुभाग–4) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
6.	विज्ञप्ति की तिथि	–	15 नवम्बर 2003 (रोजगार समाचार 22–28 नवम्बर, 2003, विज्ञापन संख्या–ए–2/ई–1/2003)
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि की	–	14–06–2006 (सं0 2430/दो–4–06–32(1)/2001 टीसी–1 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अधिसूचना दिनांक 13.06.2006
8	योगदान की तिथि	–	14–06–2006
9.	जन्म तिथि	–	20–07–1980
10.	सेवानिवृति की तिथि	–	31–07–2040

मैं रवि यादव पुत्र श्री नन्द किशोर यादव शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3––243/दस–2024/301 (1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (✗) मैं सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर 25/7/24

नाम – रवि यादव

पदमनाम – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

I.D. No -UP 6430

घोषणा पत्र

मैं रवि यादव पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर 25/7/24

नाम – रवि यादव

पदमनाम– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

I.D. No -UP 6430

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री रवि यादव, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court..

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai,** Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

No. 1209 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Ravi Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 1210 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Janardan Prasad Yadav**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bahraich.

No. 1211 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Mohammad Azad**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun.

No. 1212 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Gyanendra Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kanpur Dehat.

No. 1213 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Jahendra Pal Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Kanpur Dehat.

No. 1214 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Anil Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Azamgarh.

No. 1215 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Jay Gopal Giri**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1216 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Alka Bharti**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Jaunpur.

No. 1217 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Susri **Ankita Shukla**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 1218 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Rakesh Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun.

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003**

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ.प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट **http://uppsc.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूची में दिए गए डाकघरों से क्रय कर सकते हैं। **जे.पी.जी. सिरीज** के आवेदन पत्रों (सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य **रू. 150/-** तथा **जे.पी.आर. सिरीज** (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का मूल्य रू. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य के पत्राचार में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियाँ :- रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ आवंटित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी. 1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए प्राविधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ (1) विशेष अनुज्ञा याचिका सं. 15768/2001 मंजुला सरकार बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 628/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 18/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिंह में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगे। [illegible]

... जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हाथों हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

8. डाकघरों की सूची :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 001), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैंटोनमेंट लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (दारागंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर 224 122, औरैया 206 122, आजमगढ़ 276 001, बदायूं 243 601, बागपत-250 609, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बांसी) 272 161, बिजनौर-246 701, बुलन्दशहर-203 001, चन्दौली 232 104, चित्रकूट (कर्वी)-210 205, देवरिया-274 001, एटा-207 001, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा 271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर 210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी 284 001, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ. 208 004, कानपुर कैन्ट 208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मझनपुर) 212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराजगंज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी 205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाजार), सीतापुर 267 001, सोनभद्र (राबर्टसगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं

(ए) आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा इसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक [illegible]

... (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनुमन्य है।

(5) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद	क्र.सं.	जनपद
1	आगरा	2	इलाहाबाद
3	बरेली	4	गोरखपुर
5	झाँसी	6	लखनऊ
7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रथम 2 घंटे अंक-150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में [illegible] पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर देने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र-द्वितीय 2 घंटे अंक-300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(I) विधि शास्त्र
(II) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
(III) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण
(IV) भारतीय संविधान
(V) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम
(VI) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
(VII) भारतीय दण्ड संहिता
(VIII) सिविल प्रक्रिया संहिता
(IX) आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(X) संविदा विधि

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे

प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। "सामान्य ज्ञान" का एक प्रश्न पत्र होगा।